भारत सरकार
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1915
(दिनांक 01.08.2023 को उत्तर देने के लिए)

फर्जी समाचार का खतरा

1915. श्री पी.सी. मोहन:
श्री लल्लू सिंह:

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में फर्जी समाचारों के खतरे से निपटने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सोशल मीडिया पर फर्जी समाचारों को रोकने के लिए सरकार द्वारा कोई कदम उठाए गए हैं जिनमें फर्जी समाचारों को रोकने के लिए सोशल मीडिया कंपनियों द्वारा ओमबड्समैन की नियुक्ति को अनिवार्य बनाना शामिल है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
सूचना और प्रसारण; और युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री
(श्री अनुराग सिंह ठाकुर)

(क) से (ग): सरकार के पास फर्जी खबरों से निपटने के लिए सांविधिक और संस्थागत तंत्र हैं, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

i) सूचना और प्रसारण मंत्रालय के तहत पत्र सूचना कार्यालय के अंतर्गत नवंबर, 2019 में एक फैक्ट चैक यूनिट की स्थापना की गई है, जो केंद्र सरकार से संबंधित फर्जी खबरों का स्वत: और नागरिकों द्वारा इसके पोर्टल पर या ई-मेल और सोशल मीडिया के जरिये भेजे गए प्रश्नों के माध्यम से संज्ञान लेती है। यह यूनिट सही और अद्यतन सूचना के साथ प्रासंगिक प्रश्नों का उत्तर देती है।

ii) प्रिंट मीडिया के लिए, भारतीय प्रेस परिषद (पीसीआई), प्रेस परिषद अधिनियम, 1978 के तहत स्थापित एक सांविधिक स्वायत्त निकाय, ने मीडिया द्वारा अनुपालन के लिए "पत्रकारिता आचरण के मानक" तैयार किए हैं। इन मानकों में अन्य बातों के साथ-साथ "सटीकता और निष्पक्षता, प्रकाशन-पूर्व सत्यापन, अनुमान, अटकलें, टिप्पणी और तथ्य के बीच अंतर, सनसनीखेज/उत्तेजक शीर्षकों से बचने और उनके तहत मुद्रित मामले के लिए औचित्य आदि'' के प्रावधान हैं।

iii) टेलिविजन के लिए, सभी टीवी चैनलों के लिए केबल टेलीविज़न नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 के तहत कार्यक्रम संहिता का पालन करना आवश्यक है जिसमें यह शामिल है कि कार्यक्रमों में कुछ भी अश्लील, अपमानजनक, जानबूझकर, मिथ्या और विचारोत्तेजक आक्षेप और अर्द्ध सत्य नहीं होना चाहिए;

iv) डिजिटल समाचार प्रकाशकों के लिए, सरकार ने 25 फरवरी, 2021 को आईटी अधिनियम, 2000 के तहत सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 अधिसूचित किए हैं, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ एक तीन स्तरीय शिकायत निवारण तंत्र सहित डिजिटल समाचार प्रकाशकों द्वारा पालन किए जाने के लिए आचार संहिता का प्रावधान है।

संहिताओं आदि के उल्लंघन के मामले में सरकार और प्रेस परिषद द्वारा उचित कार्रवाई की जाती है।

****